

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर
पत्रांक /मान्यता / 3094 /2014-15 दिनांक 24.12.14

प्रबन्धक,

एल0आर0चाइल्ड एकेडमी जूनियर हाई स्कूल ग्राम दौजा रजपुरा

विकास खण्ड दनकौर,जनपद गौतमबुद्धनगर

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 30.08.2014 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं उपरोक्त विद्यालय को तारीख 01.07.2015 से तारीख 30.06.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये नर्सरी कक्षा से कक्षा आठ तक के लिये अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

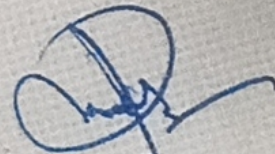
उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है-

1. मान्यता की संपूर्ण निस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 08 के पश्चात मान्यता प्रदान करने के लिये कोई मान्यता विवक्षित नहीं है।
 2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाध्याय और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपाध्याय के अधीन) का पालन करेगा।
 3. विद्यालय में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या सत्रशत तक आस-पड़स के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
 4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
 5. सोसाईटी/विद्यालय किसी कॅपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
 6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
- i. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

6/10

- ii. किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - iii. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा संपूर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकृत किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
 - vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकृत न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
 - vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पालन करता है और
 - viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्लबों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-
- | | |
|--|----------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल | 800 मी० |
| कुल निर्मित क्षेत्रफल | 700 मी० |
| कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल | शेष कीड़ा स्थल |
| कक्षों की संख्या | 12 |
| प्राध्यापक-सहकार्यालय-सहमंडागार के लिये कक्ष | 02 |
| बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय | उपलब्ध है। |
| पेयजल सुविधा | उपलब्ध है। |
| मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई | उपलब्ध है। |
| बाधारहित पहुँच | है। |
| अध्यापक पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूल उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता | |
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेगी।
 10. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालयों को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किए जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये तथा प्रति छात्र/छात्राओं के बैठने हेतु 09 वर्ग फीट का स्थान निर्धारित करे।
17. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर